COURT FEE कोर्ट फी 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE कोर्ट फी 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE कोर्ट फी 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(124)

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /11/2017निगरानी

1/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/6050

श्री विनोद श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 11-12-2017 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-12-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पे.दि. 9-1-18

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
दि. 11-12-2017

रामदयाल पुत्र श्री पन्नालाल जाटव निवासी ग्राम वीरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

1. अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.
2. कलेक्टर जिला विदिशा म.प्र.
3. तहसीलदार तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/ निगरानी/ 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, वर्ष 1970 में आज से लगभग 44 वर्ष पूर्व ग्राम वीरपुर पटवारी हल्का क्रमांक 5 तहसील सिरोंज स्थित भूमि खसरा क्रमांक 2,7,8,11,12,17 एवं 18 कुल 7 किता रकवा 127 बीघा 10 विस्वा (लगभग 32.122 हेक्टेयर) भूमि गांधी सहकारी समिति मर्यादित ग्राम वीरपुर के 14 सदस्यों को आवंटित की गई थी आवंटन दिनांक से ही सभी

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/निगरानी/Rev/17/6050

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-04-19	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरनी प्रकरण अपर आयुक्त द्वारा दिये गये स्थगन को आगे नहीं बढाये जाने के कारण प्रस्तुत किया गया । इस निगरानी के कारण अपर आयुक्त के न्यायालय में मात्र इरा कारण से प्रकरण में कार्यवाही लंबित है । अत: यह प्रकरण अपर आयुक्त को इन निर्देशों के साथ समाप्त किया जाता है कि आगामी तीन माह तक के लिये यथास्थिति बनायी रखी जायेगी तथा अपर आयुक्त तीन माह में प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम निराकरण करें । अध्यक्ष	